न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
103/2022

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1– रामकल्याण उर्फ कल्याण आत्मज श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 4 की खसरा नम्बर 181 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.51 हे0, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.59 हे0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 63 रकबा 2.05 हे0, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.77 हे0, कुल किता 6 रकबा 4.05 हे0 भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 5 के खसरा नं0 48 रकबा 1.05 हे0, खसरा नम्बर 49/398 रकबा 1.13 हे0, कुल किता 2 रकबा 2.18 हे0, भूमि दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम कल्याण दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम कल्याण के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकल्याण है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादी का नाम रामकल्याण है जिसमें वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम रलायता की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकल्याण के स्थान पर कल्याण दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समितिदीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 4 की खसरा नम्बर 181 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.51 हे0, खसरा नम्बर 5 रकवा 0.59 हे0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 63 रकबा 2.05 हे0, खसरा नम्बर 64 रकवा 0.77 हे0, कुल किता 6 रकबा 4.05 हे0 भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 5 के खसरा नं0 48 रकबा 1.05 हे0, खसरा नम्बर 49/398 रकवा 1.13 हे0, कुल किता 2 रकवा 2.18 हे0, भूमि में वादी का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाव में कल्याण एवं रामकल्याण एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाव सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 4 की खसरा नम्बर 181 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.51 हे0, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.59 हे0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 63 रकबा 2.05 हे0, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.77 हे0, कुल किता 6 रकबा 4.05 हे0 भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 5 के खसरा नं0 48 रकबा 1.05 हे0, खसरा नम्बर 49/398 रकबा 1.13 हे0, कुल किता 2 रकबा 2.18 हे0, भूमि में वादी का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)